

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 502 / 2022

दिनांक : 11.02.2022

श्री प्रशान्त पूनियां (RJ1106), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) को दिनांक 13.01.2022 से 15.01.2022 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 16.01.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री पूनियां की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

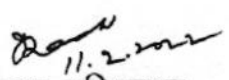
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 11.02.2022

कमांक:-स्था.बी.2(4)/94/2016/ 1013

दिनांक 11.02.2022

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 873 दिनांक 19.01.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री प्रशान्त पूनियां (RJ1106), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ।


सहायक रजिस्ट्रार